

Court No. - 18

Case :- WRIT - C No. - 1005049 of 2014

Petitioner :- Balao @ Panchoo And Others

Respondent :- Addl. Commissioner Admn. Devipatan Mandal
Gonda And Another

Counsel for Petitioner :- Mohd. Tabrez Iqbal, Shamshad Alam

Counsel for Respondent :- C.S.C., Ashish Raman Mishra

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

Heard.

By means of the present petition, the petitioners have assailed the order dated 10.06.2014 passed by Additional Commissioner (Administration), Devi Patan Mandal, District-Gonda (opposite party No.1) in revision No.516, (Navi Ahmad vs. Balao and Others), instituted under Section 219 of U.P. Land Revenue Act, 1901 (in short "Act of 1901").

The relevant portion of the order impugned dated 10.06.2014 reads as under:

"पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि बलऊ उर्फ पॉचू आदि की ओर से अवर न्यायालय में गाटा संख्या-497 के नक्शा दुरुस्ती का वाद योजित किया गया तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 03.05.2013 में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांकित 25.03.2013 को प्रेषित करते हुए यह कहा गया कि गाटा संख्या-498 के उत्तर पश्चिम कोने पर संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया गया है क्योंकि गाटा संख्या-498 बाग लगी हुई है और इस कारण गाटा संख्या-497 की सीध में नक्शे को संशोधित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस आख्या के विरुद्ध नवी अहमद की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को *petitioner* सुनकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.07.2013 पारित करके संशोधन स्वीकृत किया गया और आपत्ति निरस्त की गयी। अवर न्यायालय द्वारा अपनी विवेचना में यह कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित जॉच आख्या से स्पष्ट है कि मौका जॉच करके यह देखा गया है कि जहाँ पेड नहीं है वहाँ संशोधन प्रस्तावित किया गया है जबकि ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा इसी आशय की आपत्ति प्रस्तुत की थी जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसमें उसके बहुत पुराने पेड लगे हैं। विद्वान अवर न्यायालय को चाहिए था कि इस आपत्ति के प्राप्त होने पर न्याय के दृष्टिगत स्वयं अथवा किसी सक्षम अधिकारी से स्थल का निरीक्षण

कराकर वस्तुस्थिति से भिन्न हो जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अवर न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति को सरसरी तौर से बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में बल है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2013 विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2013 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ऊपर की गयी विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, मौके का स्वयं या किसी सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराकर पुनः गुणदोष के आधार पर वाद का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाय, जहाँ पक्षकार दिनांक 24.6.14 को उपस्थित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।”

It is settle principle of law that the order of remand does not terminate the proceedings. The proceedings are still alive. The parties to the litigation are having full opportunity to adduce evidence before the Authority concerned.

It is also settled principal of law that the order of remand simplicitor is an interlocutory order and it does not terminate the proceedings, as observed by this Court in the case of **Ram Chandra Vs. Deputy Director of Consolidation Lucknow reported in 2017 (134) RD 25**. Reference has also been made of the judgment passed in the case of **Vijay Nath and others vs. Deputy Director of Consolidation and another** reported in **[2019 (9) ADJ 85]** and the judgment dated 10.02.2023 passed by this Court in **Writ-B No.108 of 2023 (Angad Pratap Singh and others vs. Deputy Director of Consolidation and others)**. Accordingly, this Court is not inclined to entertain this petition.

Further it is settled principle of law that the order of remand can only be interfered with if in it the finding(s) have been recorded which would affect the rights of the parties after remand.

In the instant case, the order of remand dated 10.06.20214 is simplicitor remand order and in this, no finding was recorded so as to prejudice the rights of the petitioner before the authority concerned. As such, the order impugned is not liable to be interfered with by this Court.

It further appears from the order dated 27.04.2022 annexed with the affidavit dated 18.09.2023 filed in support of the application for disposal of the writ petition that the case pending as Case No.00071 of 2018, Computerized Case No.D201808620000071, (Balao @ Panchoo vs. Navi Ahmad) has already been dismissed for want of prosecution.

Considering the aforesaid aspect of the case as also nature of order dated 10.06.2014 and the settled proposition of law on the subject, this Court is not inclined interfere in the order of remand dated 10.06.2014. Accordingly, it is **dismissed**. Matter is consigned to record.

Order Date :- 1.11.2023

Raj